पत्रांक–6/वि.13–06/2017......2258......./

झारखंड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखंड।

राँची, दिनांक 28/08/2019

विषयः **विभागीय संकल्प संख्या–2093 दिनांक–06.08.2019 के आलोक में विद्यालयों को क्षेत्रवार वर्गीकृत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, विभागीय संकल्प संख्या–2093 दिनांक–06.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानान्तरण नीति की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के आलोक में स्थानान्तरण हेतु सभी जिलों में अवस्थित सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को निम्नांकित Zone (क्षेत्र) में वर्गीकृत किया गया है :–

(i) Zone – 1 — नगर निगम/नगर पंचायत एवं अन्य नगर निकाय जो नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय।

(ii) Zone – 2 — ऐसे पंचायत क्षेत्र का विद्यालय, जिसमें प्रखण्ड मुख्यालय अवस्थित है। (यह ''प्रखण्ड पंचायत'' के नाम से जानी जायेगी)

(iii) Zone – 3 — (a) प्रखण्ड पंचायत से 5 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालय।

(b) Zone – 1 से 5 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालय।

(iv) Zone – 4 — ऐसे विद्यालय, जो राष्ट्रीय उच्च पथ/राज्य उच्च पथ एवं जिला पथ से 8 किलोमीटर की दूरी तक अवस्थित हैं।

(v) Zone – 5 — दुर्गम (पहाड़ी/जंगली क्षेत्र, जिसमें यातायात का साधन अनुपलब्ध है) अथवा नक्सल प्रभावित प्रक्षेत्र (Left Wing Extremist (LWE) प्रक्षेत्र में अवस्थित विद्यालय एवं ऐसे सभी विद्यालय जो Zone-1 से Zone-4 के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हैं।

अतः उक्त के आलोक में निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें :-

1. संबंधित जिले के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित जिला शिक्षा स्थापना समिति की क्रमशः सभी प्रारम्भिक विद्यालयों तथा सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को स्थानांतरण नीति के प्रावधानानुसार दर्शाये गये Zones में तीन माह के अन्दर सूचीबद्ध करें।
2. Zonewise विद्यालयों की सूची तैयार होने पर उसे संबंधित जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करते हुए आपतियाँ आमंत्रित कर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर उसकी अंतिम सूची संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रकाशित की जायेगी।
3. सूची का अनुमोदन अन्तिम रूप से जिला स्थापना समिति प्राथमिक/माध्यमिक की संयुक्त बैठक में की जायेगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

अनु0: यथोक्त।

A 27/08/19
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 6/वि.13-06/2017 2258/ राँची, दिनांक- 28/08/2019

प्रतिलिपि : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, राँची/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड, राँची/राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्/सभी उप विकास आयुक्त/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, झारखंड/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, झारखंड/सभी कार्यपालक अभियन्ता, सभी पथ प्रमण्डल, झारखंड/सभी कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), सभी कार्य प्रमण्डल, झारखंड/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखंड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखंड/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झारखंड/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

A 27/08/19
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।